प्रेस नोट

दिनांक- 19.10.2021

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी पुलिस

"मिशन शक्ति" अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा कड़ी पैरवी करके दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 वर्ष कठोर कारावास व 52 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गई।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री दिनेश सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक श्री विनोद कुमार पाण्डेय के पर्यवेक्षण में महिला संबन्धी अपराधों में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चल रही अभियोगों में मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर "मिशन शक्ति" अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय सुल्तानपुर में मु0अ0सं0 746/15 धारा 376डी, 506 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट में अभियुक्त अरूण कुमार पुत्र मंगरू नि0 भेलाई थाना पीपरपुर जनपद अमेठी को दोष सिद्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई। परिणाम स्वरूप माननीय न्यायालय ए0एस0जे0 पाक्सो कोर्ट-12 जनपद सुल्तानपुर द्वारा दिनांक 18.10.2021 को 20 वर्ष कठोर कारावास व 52 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वादिनी/पीड़िता द्वारा दिनांक 17.09.2015 को समय 10:00 बजे की सूचना अभियुक्त अरूण कुमार द्वारा पीड़िता के साथ दुष्कर्म करना व जान माल की धमकी देने की इस सूचना पर थाना पीपरपुर में मु0अ0सं0 746/15 धारा 376डी, 506 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट में बनाम अरूण कुमार पुत्र मंगरू नि0 भेलाई थाना पीपरपुर जनपद अमेठी पंजीकृत होकर उ0नि0 जगदीश यादव द्वारा ग्रहण करते हुए विवेचना जरिये आरोप पत्र संख्या ए-109/15 दिनांक 26.10.2015 को मा0 न्यायालय में प्रेषित की गयी।